कार्यालय, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक/ /का0ब0वि0प्रा0–2018–19 दिनॉक–

आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री ....

....

....

....

विषय– रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर–1 में श्रेणी .... दुर्बल/अल्प आय वर्ग भवन आंवटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पंजीकरण **सं0**–......... के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनॉक–............. को आयोजित लाटरी ड्रा मे आपको रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर–1 में श्रेणी .... दुर्बल/अल्प आय वर्ग भवन सं0–......... आंवटित किया गया है। भवन का मूल्य एवॅ भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः–

1– (क) अनुमानित मूल्य रू0–............................
(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रू0–............................
(ग) आवंटन धनराशि रू0–..........................
(घ) अवशेष धनराशि रू0–..........................
(ड) अवशेष धनराशि रू0– ...., ...% ब्याज सहित .... वर्ष की .... समान मासिक/त्रैमासिक किश्तों में रू0–....................... प्रति किश्त।

2– नकद भुगतान (Cash down) का विकल्प चयन करने वाले आंवटियों को दिनॉक–.......................... तक सम्पूर्ण अवशेष धनराशि जमा करनी होगी।

3– किश्तों (Instalment) में भुगतान का विकल्प चयन करने वाले आवंटियों को किश्तों में जमा करने की अन्तिम तिथि मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि होगी।
प्रथम किश्त माह–...................... से प्रारम्भ होगी।

4– दिनॉक–....................... तक सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण खाते में एकमुश्त आधार (Cash down basis) पर जमा करने पर अवशेष धनराशि (75%) पर 2% छूट प्रदान की जायेगी।

5– किश्तें अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है। किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में ------% विलम्ब ब्याज अतिरिक्त देय होगा। किश्तें जमा करने हेतु अलग से कोई नोटिस नही दिया जायेगा। समय से देय धनराशि जमा न करने पर आगणित दण्डक

ब्याज आगामी जमा की जाने वाली धनराशि में पहले समायोजित होगा। तदुपरान्त अवशेष धनराशि किश्तों में समायोजित की जायेगी।

6— विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, यदि इस अवधि में भी वॉछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नही करायी जाती है तब आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— निर्धारित विक्रय मूल्य जमा किए जाने के पश्चात निर्धारित मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0—50/— का अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट साईज के 4 (चार) फोटो जमा कराकर विक्रय विलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा।

8— आवंटी को विक्रय विलेख निष्पादन के पश्चात निबन्धित विक्रय विलेख की प्रति उपलब्ध कराते हुए आवंटित भवन का कब्जा पत्र स्वंय कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात भौतिक कब्जा अभियन्त्रण अनुभाग द्वारा दिया जायेगा।

9— भवन मे निहित भूखण्ड का क्षेत्रफल स्टैन्डर्ड है। विक्रय विलेख निष्पादन के समय प्राप्त प्लान के अनुसार यदि क्षेत्रफल में कोई अन्तर आता है तो आवंटी को मान्य होगा तथा उपलब्ध स्थल एवॅ क्षेत्रफल के अनुसार कब्जा दिया जायेगा। क्षेत्रफल अधिक होने की दशा में आंबटी को अन्तर की धनराशि प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर जमा करनी होगी।

10— अनुरक्षण व्यय आवासीय में रू0—1/— प्रतिवर्गमीटर प्रतिमाह की दर से अथवा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।

11— यह आवंटन पत्र आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति/आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवॅ जमा कराये गये पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आप के द्वारा गलत प्रमाण—पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाऐं प्रस्तुत की गयी थी, अथवा पंजीकरण धनराशि जमा नहीं की गयी थी/या कम जमा की गयी थी, की स्थिति में यह पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

12— भू—अर्जन में न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण, शासन के किसी आदेश अथवा विकास कार्य में व्यय भार बढ़ने से भूमि के मूल्य में वृद्वि होने पर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अतिरिक्त धनराशि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर भुगतान करना होगा। इस पर कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

13— अन्य नियम एवॅ शर्ते पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

14— उक्त आंबटित सम्पत्ति की धनराशि ....बैंक, ...बरेली विकास प्राधिकरण के खाता सं0—..................... आई0एफ0एस0 कोड .... में जमा की जायेगी।

भवदीय

वरिष्ठ सम्पत्ति प्रभारी
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।